



पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं  
आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

उपरवारा, अटल नगर, सेक्टर-40, रायपुर, छ.ग. 493661  
(छ0ग0 अधिनियम क्र0 21/2008 द्वारा स्थापित)

ई-मेल: ddumbstln@gmail.com  
वेबसाइट-www.cghealthuniv.com

क्रमांक / F-64/ExamN.S.09 / लेखा / डी.डी.यू.यू. / 2023 / 305

रायपुर, दि- 09/01/24

प्रति,

अधिष्ठाता / प्राचार्य,  
विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालय

विषय:- राशि रु. 5000.00 से अधिक मानदेय एवं पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में।

---000---

प्रायः यह देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त अग्रिम राशि से मानदेय, पारिश्रमिक एवं स्टेशनरी व्यय का भुगतान नगद किया जा रहा है।

शासन के निर्देशानुसार राशि रु. 5000.00 या 5000.00 से अधिक राशि किसी एक व्यक्ति/संस्था को मानदेय, पारिश्रमिक, स्टेशनरी व्यय का भुगतान किया जाना हो तो उसे महाविद्यालय द्वारा धनादेश के माध्यम से भुगतान या संबंधित के खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित करे। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का वित्त निर्देश क्र. 32/2016 संलग्न है।

इसी तरह शिक्षकों एवं कर्मचारियों को मानदेय, पारिश्रमिक राशि भुगतान करने पर शासन के नियम अनुसार संबंधित से टी.डी.एस. की कटौती भी सुनिश्चित कर लिया जावे।

इसके अतिरिक्त समायोजन देयक में निम्न जानकारी आवश्यक रूप से संलग्न करे :-

1. परीक्षा की समय सारणी
2. परीक्षा कार्य हेतु नियुक्त अधिकारी/शिक्षकों/कर्मचारियों के आदेश की प्रति
3. क्रय सामाग्री के संलग्न बिल में स्टॉक पंजी में दर्ज का प्रमाणीकरण

Registrar

संलग्न :- वित्त निर्देश 32/2016 की छायाप्रति - 01

Pt. D. D. U. Memo H.S. &  
Ayush University

कुलसचिव

पृ0 क्रमांक / F-64/ExamN.S.09 / लेखा / डी.डी.यू.यू. / 2023 / 306 / 07 रायपुर, दि- 09/01/24  
प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष वि.वि.छ.ग., रायपुर को सूचनार्थ।
2. आई.टी. शाखा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष वि.वि.छ.ग., रायपुर को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

Registrar

Pt. D. D. U. Memo H.S. &  
Ayush University  
C.G. Raipur



छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 1335/ब-4/चार,  
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 06/12/2016

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त संभागीय आयुक्त  
समस्त कलेक्टर  
छत्तीसगढ़

- विषय :- शासकीय भुगतान के लिये ई-पेमेंट प्रणाली लागू करने बाबत  
संदर्भ :- 1. वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 68/वित्त/ब-4/चार/2012, दिनांक 25.04.2012 (वित्त निर्देश 19/2012)  
2. वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 946/वित्त/ब-4/चार/2012, दिनांक 05.06.2012 (वित्त निर्देश 34/2012)  
3. वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 273/वित्त/ब-4/चार/2012, दिनांक 12.06.2012 (वित्त निर्देश 42/2012)  
4. वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 499/वित्त/ब-4/चार/2012, दिनांक 31.07.2012 (वित्त निर्देश 55/2012)


---000---

संदर्भित वित्त निर्देश 19/2012 के कण्डिका 3 में ₹ 10,000/- या इससे अधिक के भुगतान के लिये ई-पेमेंट की व्यवस्था लागू की गई है।

2- राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि अब ₹ 5,000/- या इससे अधिक के भुगतान के लिये ई-पेमेंट की व्यवस्था लागू की जाए। "

3- शेष शर्तें यथावत रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(सुरेश पाण्डेय) 6/12/16  
संयुक्त सचिव

पृष्ठांकमांक 1336/ब-4/चार,  
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 06/12/2016

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, महानदी भवन, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
7. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
9. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, इन्द्रावती खण्ड, पुराना मंत्रालय, परिसर, रायपुर
12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
14. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. छत्तीसगढ़ रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला / इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर / बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, नया रायपुर  
- को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु
20. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) पर अपलोड करने हेतु



(राघवेंद्र कुमार)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी